भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2033
बुधवार, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 (शक)

स्वचालन के कारण खो जाने
वाली नौकरियां

2033. श्री संजय सिंहः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि स्वचालन के कारण वर्ष 2030 में लगभग 12 मिलियन महिलाएं अपनी-अपनी नौकरियां खो देंगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा महिलाओं को रोजगार सुनिश्चित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): नेशनल ऐसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) के अनुसार, भारतीय आईटी/आईटीईएस उद्योग वित्त वर्ष 2018-19 (ई) को 41.38 लाख व्यक्तियों को नियोजित करता है, जो कि विगत वर्ष से लगभग 1.7 लाख कर्मचारी (महिलाओं सहित) अधिक है। प्रौद्योगिकी स्वचलन ने कामगारों का प्रतिस्थापन नहीं किया है, बल्कि उत्पादकता में सुधार किया है और कामगारों को जटिल निर्णय लेने तथा सामाजिक संपर्क बढ़ाने सहित अन्य कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए समय प्रदान किया है। बल्कि, नई प्रौद्योगिकी के अपनाने से रोजगार सृजित होते हैं, उत्पादकता बढ़ती है तथा कुशल श्रम की मांग में वृद्धि होती है। भारतीय आईटी-आईटीईएस उद्योग लगातार वास्तविक नियोक्ता बना हुआ है और यह रोजगार के दौरान ही प्रशिक्षण प्रदान करता है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्लूपीआर) 22% है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेकों पहल की हैं। महिलाओं को रोजगार में प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें बाल देख-भाल केंद्र, बच्चों को स्तनपान कराने हेतु समय देना, सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं। सरकार ने सभी श्रेणी के कर्मचारियों को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच खुली खुदाई वाले कामकाज तथा भूमिगत कामकाज में सुबह 6 बजे से शाम सायं: 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी सहित भूमि के ऊपर खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

मजदूरी संहिता, 2019 यह व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में सामान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में सामान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद हो।

इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सरकार राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है जहां रोजगार तलाश, रोजगार मिलान ,व्यावसायिक मार्गदर्शन ,करियर परामर्श , कौशल विकासपाठ्यक्रमों संबंधी सूचना इत्यादि जैसी विविध रोजगार संबंधी सेवाएं एनसीएस परियोजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग के साथ एक साझा मंच पर प्रदान की जा रही हैं। एनसीएस पोर्टल पर महिलाओं के लिए रोजगार को विशेष रूप से महिला विशिष्ट विंडो में स्पष्ट किया जाता है।

*****